राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 280/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, चित्तौडगढ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संतोष कन्स्ट्रक्शन चित्तौडगढ .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 281/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, चित्तौडगढ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संतोष कन्स्ट्रक्शन चित्तौडगढ .....प्रत्यर्थी

अपील संख्या 282/2014/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–प्रथम, चित्तौडगढ .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स संतोष कन्स्ट्रक्शन चित्तौडगढ .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.पी.शर्मा,
कर सलाहकार .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 16.08.2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिन्हें आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 28.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी द्वारा इन अपीलों के निर्णय में सृजित राशि को अपीलार्थी विभाग द्वारा विवादित किया गया है जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

अपील सं.	विभाग की अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	कर	ब्याज	शास्ति	योग
49/वेट/12–13/चित्तौडगढ	280/2014	2006–07	13.03.09	19845	0	2000	21845
70/वेट/12–13/चित्तौडगढ	281/2014	2007–08	17.09.12	128848	0	0	128848
71/वेट/12–13/चित्तौडगढ	282/2014	2009–10	01.03.12	72356	0	0	72356

लगातार.....2

2. उपरोक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने से इनका निष्पादन एक ही निर्णय के द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

2. अपील सं. 280/2014 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यवहारी जो ठेकेदारी का कार्य करता है, के कर निर्धारण वर्ष 2006–07 में कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से बताई गई खरीद की राशि रू. 66,560/– को बढा कर 1,50,000/– रू करते हुये उस पर 12.50 प्रतिशत की दर से कर राशि रू. 18,750/– निर्धारित किया। इसी प्रकार अपील सं. 281/2014 में कर निर्धारण वर्ष 2007–08 में कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से बताई गई खरीद की राशि रू. 12,41,119/– को बढा कर 13,51,500/– रू करते हुये राशि रू. 5,40,600/– पर 4 प्रतिशत की दर से व 8,10,900/– पर 12.50 प्रतिशत की दर से कर राशि रू. 1,22,986/– निर्धारित की। इसी प्रकार अपील सं. 282/2014 में कर निर्धारण वर्ष 2009–10 में कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से बताई गई खरीद की राशि रू. 23,22,797/– में से 8,62,090/– पर 4 प्रतिशत की दर से, 4,81,956/– रू पर 12.50 प्रतिशत की दर से, 8,37,967/– पर 14 प्रतिशत की दर से व 1,41,784/– रू स्टोन प्रति क्विंटल पर प्रति ट्रिप के आधार पर कर राशि रू. 2,24,769/– निर्धारित की। कर निर्धारण अधिकारी के उपरोक्त आदेशों के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवसायी द्वारा अपीलें प्रस्तुत की गई। अपील संख्या 280/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा वेट वृद्वि 19,845/– व शास्ति राशि रू. 2,000/– कुल 21,845/– को चुनौती दी गई। अपील संख्या 281/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा ठेकाखाता के अनुसार 3,64,587/– रू को बढाकर 5,40,600/– रू करने पर राशि रू 1,76,013/– पर वेट राशि 7,040/– रू व वेट इनपुट राशि रू 1,21,808/– का इनपुट नहीं देने को चुनौती दी गई। अपील संख्या 282/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा 70 प्रतिशत मेटेरियल की कीमत मानते हुए वेट राशि रू. 1,52,413/– से बढाकर राशि रू 2,24,769/– करने को चुनौती दी गई। अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में अपंजीकृत खरीद को अत्यधिक होने के कारण व्यवसायी के वर्क ऑर्डर एवं जी शेड्यूल तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद की वृद्वि को आधी मानते हुए, तदनुसार उस पर कर आधा कायम रखते हुये आधे कर को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त संयुक्त आदेश के विरूद्व राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलीय अधिकारी ने बिना कोई कारण व विवेचना किये कर आधा किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

२ग–

4. अपीलार्थी की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बतलाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवेचना किये हुये एवं बिना किसी तार्किक गणितीय आकलन के आरोपित कर को आधा किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः अपीलें स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी के आदेश यथावत रखे जावे।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लिखित कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपायुक्त अपील्स के आदेश मे अनुमानित बिक्री में कर निर्धारण अधिकारी ने जो बिना किसी सुनवायी का अवसर दिये वृद्वि की है उसे आधी 1/2 की गयी है जिसके सन्दर्भ में हाई कोर्ट निर्णय एवं रूल 48 बिना किसी सुनवायी के आधार पर की गयी वृद्वि या शास्ति निरस्त योग्य है। इन्होने अपने समर्थन में (2007) 27 सेल्स टैक्स टूडे 03 (आरटीबी) मै. जय गुरू महाराज कन्स्ट्रक्शन कम्पनी बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी उदयपुर एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एसबी सेल्स टेक्स रिवीजन संख्या 25/2011 वा.क.अ. भीलवाडा बनाम मै. मुकुटवाला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भीलवाडा में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरणों में कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत व्यवहारियों से क्रय की गयी निर्माण साम्रगी को बढाकर वेट आरोपित किया है। व्यवहारी ने उपरोक्त आदेशों के विरूद्व अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की है। अपील संख्या 280/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा वेट वृद्वि 19,845/– व शास्ति राशि रू. 2000/– कुल 21,845/– को चुनौती दी गई। अपील संख्या 281/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा ठेकाखाता के अनुसार 3,64,587/– रू को बढाकर 5,40,600/– रू करने पर राशि रू 1,76,013/– पर वेट राशि 7,040/– रू को व वेट इनपुट राशि रू 1,21,808/– का इनपुट नहीं देने को चुनौती दी गई। अपील संख्या 282/2014 से सम्बन्धित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में व्यवसायी द्वारा 70 प्रतिशत मेटेरियल की कीमत मानते हुए वेट राशि रू. 1,52,413/– से बढाकर राशि रू 2,24,769/– करने को चुनौती दी गई। अधीनस्थ अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय में अपंजीकृत खरीद को अत्यधिक होने के कारण व्यवसायी के वर्क ऑर्डर एवं जी शेड्यूल तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद की वृद्वि को आधी मानते हुए तदनुसार उस पर कर आधा कायम रखते हुये आधे कर को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उपरोक्त संयुक्त आदेश के विरूद्व राजस्व द्वारा ये द्वितीय अपीलें इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अपीलीय अधिकारी ने बिना कोई कारण व विवेचना किये कर आधा किया है जो विधिसम्मत नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपंजीकृत खरीद में वृद्वि करते हुये कर आरोपित किया है जिसके सम्बन्ध में कोई

लगातार.....4

कारण या आधार स्पष्ट नहीं किया है। कर निर्धारण अधिकारी से उच्चतर अपीलीय अधिकारी ने अपंजीकृत खरीद को अत्यधिक होने के कारण व्यवसायी के वर्क ऑर्डर एवं जी शेड्यूल तथा कार्य की प्रकृति को देखते हुये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद की वृद्वि को आधी मानते हुए तदनुसार उस पर कर आधा कायम रखते हुये आधे कर को अपास्त किया है जो युक्तियुक्त प्रतीत होता है। राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है कि अपीलीय अधिकारी ने बिना कोई कारण व विवेचना किये कर आधा किया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि यह तर्क माना जाता है तो कर निर्धारण अधिकारी का आदेश भी विधिसम्मत की श्रेणी में नहीं माना जायेगा जिनके द्वारा भी अपंजीकृत खरीद में वृद्वि करते हुये कर आरोपित किया है जिसके सम्बन्ध में कोई कारण या आधार स्पष्ट नहीं किया है। प्रकरण काफी पुराने है तथा पुनः कर निर्धारण हेतु प्रेतिप्रेषित करने का कोई औचित्य नहीं है। राज्य पक्ष की ओर से ऐसा कोई विशिष्ठ आधार, साक्ष्य या विधिक स्थिति प्रस्तुत नहीं की है जिससे इस तथ्य को बल मिलता हो कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी गणना के अनुसार आरोपित कर उचित हो। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी से उच्चतर अधिकारी ने कार्य की प्रकृति एवं जी–शेड्यूल के आधार पर कर आधा किया है उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

8. व्यवसायी का यह कथन कि अनुमानित बिक्री में कर निर्धारण अधिकारी ने जो बिना किसी सुनवायी का अवसर दिये वृद्वि की है उसे आधी 1/2 की गयी है जिसके सन्दर्भ में हाई कोर्ट निर्णय एवं रूल 48 बिना किसी सुनवायी के आधार पर की गयी वृद्वि या शास्ति निरस्त योग्य है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो अपीलाधीन निर्णय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई थी जिसके विरूद्व व्यवसायी ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है व न ही इन अपीलों में क्रोस आब्जेक्शन प्रस्तुत किये है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपीलें सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

10. निर्णय सुनाया गया ।

नत्थूराम
(नत्थूराम)
सदस्य